105

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0मिश्रा,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक निगरानी/4602/2018/रीवा/भू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-07-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 1712/अपील/2017-18

दिव्यांशु चतुर्वेदी तनय स्व0 सुरेश कुमार चतुर्वेदी
निवासी-ग्राम लपटा, तहसील हुजूर
जिला रीवा (म0प्र0)

---निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री रमेश कुमार,
निवासी ग्राम लपटा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

------- गैर निगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता - निगराकार
श्री अनिलसिंह, अधिवक्ता - गैर-निगराकार

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22/1/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-07-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार बनकुइया सर्किल तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष ग्राम लपटा के आराजी नंबर 164 रकवा 0.656 हे0, आराजी नंबर 165 रकवा 0.057 एवं 10 किता अन्य भूमियों का वारिसाना नामांतरण किये जाने का आवेदन पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में उसके बाबा क्षेत्रपाल का नाम है । बाबा क्षेत्रपाल की मृत्यु हो गई है । अतः मृत खातेदार के स्थान पर उनके वारिसों का नाम दर्ज किया जावे । तहसीलदार द्वारा वारिसाना न करके आवेदन निरस्त किया है, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22/08/17 पारित कर निगरानीकर्ता की अपील स्वीकार कर वारिसों का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा निम्न न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन करते हुए अपने आदेश दिनांक 17/07/18 द्वारा गैर निगरानीकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश खारिज किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं लिखित तर्को का परिशीलन किया तथा उसके संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों के स्वामी क्षेत्रपाल द्वारा अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03/09/1992 को गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित कर दी थी । दीवानी न्यायालय द्वारा भी उक्त वसीयत को वैधानिक माना गया है । निगरानीकर्ता के पिता का कोई हिस्सा नहीं माना है तब ऐसी स्थिति में उनके पुत्र का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता है । निगरानीकर्ता द्वारा सभी हितधारियों को पक्षकार बनाये बगैर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मामला दायर कर वारिसाना नामांतरण का जो आदेश प्राप्त किया है उसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तृत विवेचना उपरांत विधिसंगत नहीं होने से खारिज किया है अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रतिपादित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में शासन को पक्षकार बनाकर अपील पेश की गई है जबकि मृतक के वारिसों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था । इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता के पिता सुरेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को रद्द किये जाने का व्यवहार वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था जो वाद क्रं0 27 ए/4 में दर्ज होकर दिनांक 27/09/2006 को निर्णीत हुआ जिसमें गैरनिगरानीकर्ता गोमती के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को वैधानिक माना है तथा निगराकार दिव्यांशु के पिता सुरेश का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा मान्य नहीं किया है । माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते है । इस प्रकरण में भी यही सिद्धांत लागू होता है ।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-07-18 में किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं है

इस प्रकार उक्त आदेश तर्क संगत एवं विधि अनुकूल होने से पुष्टियोग्य पाया जाकर स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-17 निरस्त किया जाता है । परिणामस्वरूप यह निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

22/1/2019

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर